मैन्युअल-3

खण्ड 4(1) (बी)(iii) निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली विधि जिसमें पर्यवेक्षण तथा दायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं:-

मुख्यालय

मुख्यालय में मिसिलों का आवागमन संबंधित सहायक से अधीक्षक, सहायक निदेशक/उप-निदेशक, संयुक्त वस्त्र आयुक्त/अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त तक होता है। तकनीकी अनुभागों के मामलें में मिसिल तकनीकी अधिकारियों के माध्यम से जाती है एवं आर्थिकी तथा सांख्यिकी अनुभागों में मिसिलें लागत अधिकारियों/आर्थिकी अधिकारियों के माध्यम से जाती हैं। महत्वपूर्ण मामलों में मिसिलें वस्त्र आयुक्त को प्रस्तुत की जाती हैं।

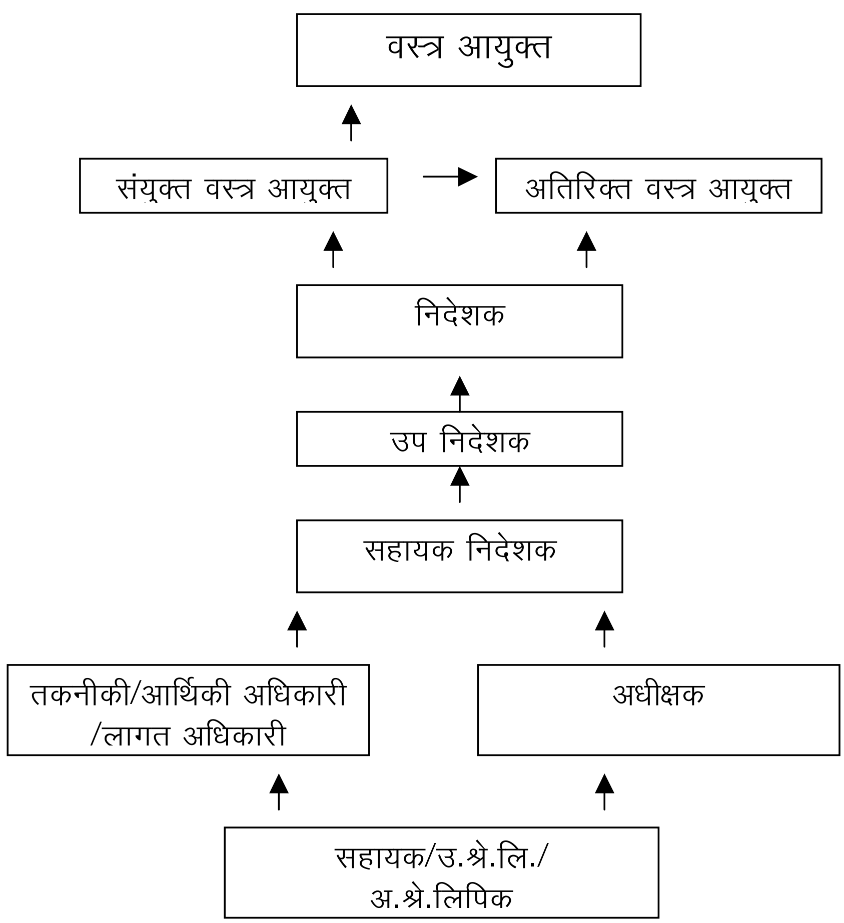

क्षेत्रीय कार्यालय

क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख निदेशक/उप निदेशक होता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली क्रिया विधि, जिसमें पर्यवेक्षण एवं दायित्व के माध्यम शामिल है, संबंधित सहायक से कार्यालय अधीक्षक तथा तकनीकी अधिकारियों से प्रारंभ होकर सहायक निदेशक तथा अतिमत: प्रभारी अधिकारी तक पूरी होती है।

क्षेत्रीय कार्यालय का संगठनात्मक चार्ट निम्नानुसार हैं

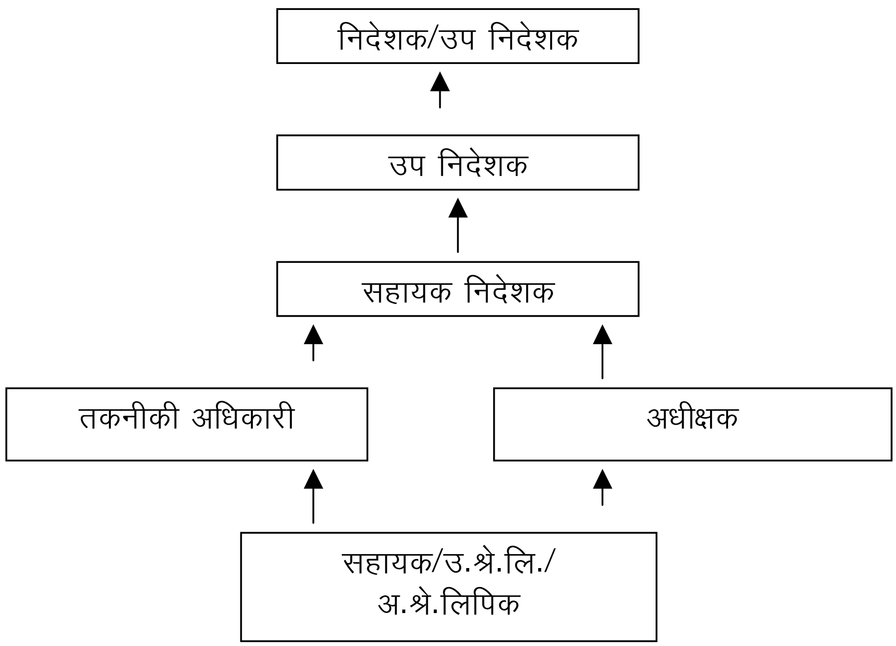

विद्युत करघा सेवा केन्द्र:

विद्युत करघा सेवा केन्द्रों का प्रमुख सहायक निदेशक (तकनीकी) होता है। मिसिलें संबंधित सहायक से तकनीकी अधिकारी से सहायक निदेशक (तकनीकी) तक जाती है। विद्युत करघा प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी कुशल बुनकरों एवं बुनकर सहायकों की होती है।